

सं०सं०-03/परी०-BTSC-(अधि०)01-02/2023.....3121

पटना, दिनांक:- 04/10/2024

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०-38/2023 से 52/2023, (व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों)
Degree/Diploma योग्यताधारी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में
आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों हेतु सूचना एवं दिशा-निर्देश:-

श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना, के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर Degree/Diploma योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०-38/2023 से 52/2023 के अन्तर्गत योग्य (Qualified) पाये गये अभ्यर्थियों से आयोग के पत्रांक-1702, दिनांक-05.08.2024 के आलोक में प्राप्त आपत्तियों के निष्पादनोपरान्त दिनांक-18.09.2024 से 28.09.2024 तक दो पालियों (प्रथम पाली 10:00AM-01:30PM एवं द्वितीय पाली 02:30PM-06:00PM) में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना में सम्पन्न कराया गया है।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कतिपय अभ्यर्थियों का कुल प्राप्तांक आयोग के पत्रांक-2028, दिनांक-11.09.2024 द्वारा विज्ञापनवार (गुपवार) प्रकाशित कट-ऑफ अंक से अधिक अंक होने के बावजूद उक्त गुप/विज्ञापन के अन्तर्गत दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित नहीं किये जा सके हैं। वैसे चिन्हित चौदह (14) अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जाता है।

आयोग के पत्रांक-2027, दिनांक-11.09.2024 द्वारा व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर Degree/Diploma योग्यताधारी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु पूर्व में आमंत्रित अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश सहित आवश्यक सूचना प्रकाशित की गयी है, जो लागू रहेगा।

उक्त क्रम में संबंधित विज्ञापनों के अभ्यर्थियों हेतु दिनांक-09.10.2024 को एक पाली (प्रथम पाली 10:00AM-01:30PM) में दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) का कार्य आयोग कार्यालय में निर्धारित किया गया है। विज्ञापनवार आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है।

अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग के पत्रांक-2027, दिनांक-11.09.2024 में दिये गये विस्तृत दिशा-निर्देश के अनुरूप दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) का कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनु०:- (i) आमंत्रित 14 (चौदह) अभ्यर्थियों की सूची एवं दस्तावेज सत्यापन संबंधी कार्यक्रम।

(ii) आयोग के पत्रांक-2027, दिनांक-11.09.2024 की प्रति।

31
प्रभारी सचिव, 04.10.2024

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

बिहार तकनीकी सेवा अयोग, पटना

DATE	Advt. No-38/2023 To 52/2023 (Group-1 To 15)			
	Sr. No.	Application Number	Name Of Candidate	Called For Group
09-10-2024 (10:00 am - 1:30 pm)	1	DD002501	RAMENDRA KUMAR	Group15
	2	DD005668	GAURAV SHARMA	Group15
	3	DD006058	RAJA PRAJAPATI	Group15
	4	DD006709	VIJAY SHANKER SINGH KUSHBAHA	Group15
	5	DD008721	SHADAB MAJID HUSSAIN	Group15
	6	DD010298	SAIF KHAN	Group15
	7	DD013107	AHASHAN AHAMAD	Group15
	8	DD013195	MD MASHOOD ANSARI	Group15
	9	DD017597	ANKIT KUMAR YADAV	Group15
	10	DD017778	NEETU SINGH	Group15
	11	DD020590	SAJAN KUMAR	Group15
	12	DD021427	KM PRIYANKA GUPTA	Group15
	13	DD023810	SUDHANSHU KUMAR	Group15
	14	DD027839	KRISHAN KUMAR	Group10

09.10.2024

प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
 19, हार्डिंग रोड, पटना।

विज्ञापन सं०-38/2023 से 52/2023, (व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों)
Degree/Diploma योग्यताधारी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में
आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों हेतु सूचना एवं दिशा-निर्देश:-

श्रम संसाधन विभाग, बिहार पटना, के अन्तर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के रिक्त पदों पर Degree/Diploma योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन सं०-38/2023 से 52/2023 के अन्तर्गतयोग्य (Qualified) पाये गये अभ्यर्थियों से आयोग के पत्रांक-1702, दिनांक-05.08.2024 के आलोक में प्राप्त आपत्तियों के निष्पादनोपरांत दिनांक-18.09.2024 से 28.09.2024 दो पालियों (प्रथम पाली 10:00AM-01:30PM एवं द्वितीय पाली 02:30PM-06:00PM) में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना में संभावित है। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची Application No. के अनुसार तिथिवार/पालीवार आयोग के Website पर प्रकाशित कर दिया गया है।

कतिपय अभ्यर्थियों के एक से अधिक विज्ञापन (ग्रुप) के अन्तर्गत दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु तैयार मेधासूची में होने के कारण वैसे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) का कार्य एक ही तिथि को कराये जाने हेतु सभी अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) Application No. के अनुसार किया जाएगा।

दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित होने के पश्चात् वैसे आमंत्रित अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के Website-www.btsc.bihar.gov.in अथवा <http://103.75.167.252/DEGREE/LOGIN.ASPX> पर जाकर अपना Application No., Registered Mobile No., जन्म तिथि डालने के पश्चात् Registered Mobile No. पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर Call Letter Download किया जा सकेगा।

विज्ञापन (ग्रुप) के अन्तर्गत एक से अधिक पद होने एवं कतिपय अभ्यर्थियों के एक से अधिक विज्ञापन (ग्रुप) के अन्तर्गत मेधासूची में होने के फलस्वरूप विज्ञापन के शर्तों के अनुसार सभी अभ्यर्थियों से अंतिम चयन हेतु पदों के प्राथमिकता का विकल्प लिया जाना है। Call Letter generate करने हेतु सभी अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम दस्तावेज सत्यापन के आमंत्रित विज्ञापन (ग्रुप) के अन्तर्गत उपलब्ध सभी पदों प्राथमिकता के अनुसार घटते क्रम में विकल्प के रूप में चिन्हित करना अनिवार्य है। तदोपरांत, Call Letter विकल्प प्राथमिकता प्रपत्र सहित generate किया जा सकेगा।

अभ्यर्थियों को निदेश है कि पदों के विकल्प प्राथमिकता का चयन ध्यानपूर्वक करेंगे। पूर्ण रूप से भरे गए पदों के विकल्प प्राथमिकता को मात्र एक-बार ही परिवर्तित करने की अनुमति होगी। तदोपरांत, अंतिम रूप से भरे गए पदों के विकल्प प्राथमिकता में किसी बदलाव हेतु किसी प्रकार के अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

Call Letter के बिना दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आयोग परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने Application No. के अनुसार दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर विज्ञापन में वर्णित एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति, आवेदन पत्र की Downloaded प्रति तथा सत्यापन हेतु सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे।

दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में आने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश है कि निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे:-

1. ऑनलाईन आवेदन पत्र में इंगित प्रविष्टियों के अनुसार अभ्यर्थी को चेक लिस्ट प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं सभी प्रमाण पत्रों की दो(02) प्रति स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के दौरान निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों का मूल से सत्यापन कराया जाना है जिसकी विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	प्रमाण-पत्रों की विवरणी	प्रमाण-पत्रों का निर्गत होने का अन्तिम कट-ऑफ तिथि
1	मैट्रिक का प्रमाण-पत्र	—
2	निवास प्रमाण-पत्र	
3	फोटोयुक्त पहचान पत्र	
	शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र	
	(i) विज्ञापनों के कंडिका-1(i) में वर्णित संबंधित Stream/Branch में 04 वर्षीय Engineering Degree का प्रमाण-पत्र या 03 वर्षीय Engineering Diploma का प्रमाण-पत्र।	18.10.2023 तक (केवल कंडिका-4(i) एवं 4(ii) हेतु)
4	(ii) उपर्युक्त कंडिका-(i) में अंकित अर्हता के सभी वर्षों का उत्तीर्णता का अंक-पत्र।	
	(iii) विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा CGPA/OGPA/CPI आदि को प्रतिशत में बदलने का Formula (यदि लागू हो)	
	(iv) अभ्यर्थी के शैक्षणिक सत्र में अभ्यर्थी के Stream/Branch में अभ्यर्थी के Course संचालन की AICTE से मान्यता का साक्ष्य	
5	CITS प्रमाण-पत्र (i) संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (CITS) का एक वर्षीय प्रमाण-पत्र। (ii) संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम (CITS) का अंक पत्र। नोट:- आवेदन में CITS का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।	18.10.2023 तक
6	01 वर्ष अथवा 02 वर्ष का अनिवार्य अनुभव प्रमाण-पत्र राज्य सरकार/भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग/संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 01 वर्ष अथवा 02 वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र। (साक्ष्य सहित, यदि लागू हो)	(A) दिनांक-18.10.2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु 18.10.2023 तक (B) परन्तु, विज्ञापन सं०-47/2023 (ग्रुप-10) इलेक्ट्रॉनिक्स मेकैनिक व्यवसाय अनुदेशक के पद अन्तर्गत अभ्यर्थियों हेतु दिनांक-18.11.2023 से 25.11.2023 तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु दिनांक-25.11.2023 तक
7	आरक्षण के दावा संबंधी प्रमाण-पत्र जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति हेतु), क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण-पत्र। नोट:- आवेदन में कोटि का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।	
8	कार्यानुभव संबंधी प्रमाण-पत्र श्रम संसाधन विभाग, बिहार के अंतर्गत निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर किये गये कार्य हेतु संबंधित पदस्थापन स्थल के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र। नोट:- आवेदन में संविदा पर कार्यरत होने के कार्यानुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।	
9	दिव्यांगता प्रमाण-पत्र नोट:- आवेदन में दिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।	
10	स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का प्रमाण-पत्र नोट:- आवेदन में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु।	

11	Online Form की प्रति	---
12	Online Form में Upload किये गए फोटोग्राफ की पाँच प्रति।	---
13	Computer Based Test के Admit Card का परीक्षा केन्द्र में Invigilator द्वारा हस्तारित Candidate Copy	---
14	Computer Based Test का Score Card	---
15	विकल्प प्राथमिकता प्रपत्र	---

- अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र, अंक पत्र एवं अनिवार्य अनुभव प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर अयोग्य कर दिया जायेगा।
- विज्ञापन के कंडिका-1(i) में अंकित शैक्षणिक अर्हता (किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित Stream/Branch में 04 वर्षीय Engineering Degree का प्रमाण-पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित Stream/Branch में 03 वर्षीय Engineering Diploma का प्रमाण-पत्र) से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य कर दिया जायेगा।
- विज्ञापन के कंडिका-1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अन्तर्गत कार्यावधि की गणना दिनांक-19.09.2023 तक की जायेगी।
- विज्ञापन के कंडिका-1(ii) में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अन्तर्गत संबंधित उद्योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक/प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित उद्योग के सरकार से उद्योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण-पत्र को अमान्य कर दिया जायेगा।
- विज्ञापन के कंडिका-1(iii) एवं 3(ii)(c) में वर्णित (संबंधित व्यवसाय में CITS का प्रमाण-पत्र) CITS का राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (NCVT) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर CITS के अधिमानता का दावा अमान्य कर दिया जायेगा।

CITS के अंकों की अधिमानता केवल जिस व्यवसाय में CITS उत्तीर्ण है, उस व्यवसाय के अन्तर्गत देय होगा। (उदाहरणार्थ :-विज्ञापन सं० 38/2023 ग्रुप-1 के अन्तर्गत 06 अलग-अलग व्यवसाय के पद हैं। यदि कोई अभ्यर्थी Fitter व्यवसाय में CITS उत्तीर्ण है तो उक्त अभ्यर्थी को अभी CITS का अंक ग्रुप-1 के अन्तर्गत प्रदर्शित है, परन्तु व्यवसायवार मेधासूची तैयार किए जाने के क्रम में केवल Fitter व्यवसाय के मेधासूची में CITS हेतु अधिमानता का अंक देय होगा। शेष व्यवसाय हेतु CITS की अधिमानता का अंक देय नहीं होगा।)

- विज्ञापन के कंडिका-3(ii)(d) के अनुसार कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा नियोजन के फलस्वरूप संपादित कार्य अवधि के समतुल्य संविदा के आधार पर पूर्व में तथा वर्तमान में कार्यरत दोनों अभ्यर्थियों को देय होगा।

संविदा आधारित कार्यानुभव प्रमाण-पत्र हेतु विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में प्रारूप (Format) संलग्न किया गया है, इसी प्रारूप में ही कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन में दिये जाने पर कार्यानुभव के अंकों एवं आयु सीमा में छुट का लाभ दिया जायेगा। इस प्रारूप से अलग किसी अन्य प्रारूप में कार्यानुभव प्रमाण-पत्र दिये जाने पर अंकों का लाभ देय नहीं होगा।

कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता केवल जिस व्यवसाय में कार्यानुभव प्राप्त है, उस व्यवसाय के अन्तर्गत देय है। (उदाहरणार्थ :-विज्ञापन सं० 38/2023 ग्रुप-1 के अन्तर्गत 06 अलग-अलग व्यवसाय के पद हैं। यदि कोई अभ्यर्थी Fitter व्यवसाय में संविदा पर कार्यरत है तो उक्त अभ्यर्थी को अभी कार्यानुभव का अंक ग्रुप-1 के अन्तर्गत प्रदर्शित है, परन्तु व्यवसायवार मेधासूची तैयार किए जाने के क्रम में केवल Fitter व्यवसाय के मेधासूची में संविदा पर कार्यरत होने हेतु कार्यानुभव हेतु अधिमानता का अंक देय होगा। शेष व्यवसाय हेतु कार्य अनुभव की अधिमानता का अंक देय नहीं होगा।)

- विज्ञापन के कंडिका-3(ii)(d) में वर्णित कार्यानुभव अवधि की गणना दिनांक-19.09.2023 तक किया जायेगा।

10. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र विज्ञापन की कंडिका-3(iii) के अनुसार संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य द्वारा निर्गत नहीं होने अथवा विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक नहीं दिया जायेगा।
11. यदि अभ्यर्थी आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण-पत्र जमा कर मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
12. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-673, दिनांक-08.03.2011 एवं पत्रांक-704, दिनांक-10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थाई अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण-पत्र जमा कर मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
13. आयोग द्वारा निर्धारित तिथि/पाली में अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) कराना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) कराने हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।
14. आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्रों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत करने/त्रुटिपूर्ण होने की दशा में अलग से कोई भी प्रमाण-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
15. निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
16. किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता किसी भी चरण में रद्द की जा सकती है।
17. दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबन्धिक है। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आमंत्रित अभ्यर्थी को छोड़कर शेष किसी व्यक्ति का दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) स्थल में प्रवेश वर्जित होगा।
18. अभ्यर्थियों को निदेश है कि आयोग द्वारा जब भी इस संबंध में समय-समय पर कोई सूचना आयोग के अधिकृत वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है तो इसे वे अपने ध्यान में अनुपालन हेतु रखेंगे। इसके लिए अलग से उन्हें कोई व्यक्तिगत सूचना देने/नहीं देने के बिन्दु पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होगा।

8m
11.9.2024
प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।